दिनांक 22.08.2020 को विशेष सचिव, कृषि–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – अलग से संचिका में संधारित।

1. विशेष सचिव, कृषि–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना द्वारा अवगत कराया गया कि बामेती का मूल उद्देश्य प्रशिक्षण है। इसलिए कैलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाए। 15 सितम्बर, 2020 तक कैलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम अद्यतन कर लिया जाए।
2. 02 सितम्बर, 2020 से देसी कार्यक्रम अंतर्गत बामेती एवं जिला स्तर पर कोविद–19 के दौरान दिए गए निर्देश के आलोक में प्रशिक्षण का आयोजन प्रारंभ किया जाए।
3. विशेष सचिव, कृषि–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना द्वारा निदेश दिया गया कि पी0जी0डी0ए0ई0एम0 का प्रशिक्षण भी तत्काल ऑन लाईन प्रारंभ कराया जाए।
4. विशेष सचिव, कृषि–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना द्वारा निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण के बाद Certification का कार्य प्रारंभ किया जाए। पूर्व के प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को मैनुअल प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए एवं इसके बाद Online प्रमाणपत्र प्रदान की जाए।
5. प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि संचिका के माध्यम से निदेशक बामेती से अनुमोदित कराकर उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाए। इस कार्य हेतु सप्ताह का एक दिन निर्धारित किया जाए। इस संबंध में Direct प्रमाणपत्र निकालने के सिस्टम को अनलॉक किया जाए तथा निदेशक, बामेती के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत हीं उसे Allow किया जाए। इस कार्य का सम्पादन प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण एक सप्ताह के अंदर करेंगे।
6. आत्मा योजना की मार्गदर्शिका में विषय सूची को जोड़ते हुए 30 अगस्त, 2020 तक अनुमोदन हेतु सचिव, कृषि, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाए।
7. वित्तीय वर्ष 2019–20 में निर्माण किए गए किसान हितार्थ समूह/महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा समूह का प्रखंडवार Detail बनाया जाए। उक्त में समूह का नाम, सदस्य का नाम, खाता संख्या, खाता में उपलब्ध राशि से संबंधित प्रतिवेदन Online प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाए।
8. देसी कार्यक्रम अंतर्गत फैसिलिटेटर का चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन एक सप्ताह के अंदर किया जाए।
9. बामेती, पटना के सभी प्रोसिडिंग को बामेती के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए। सभी संबंधित पदाधिकारी बैठक के पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपाल सुनिश्चित कर लें।
10. कौशल विकास मिशन अंतर्गत आर0पी0एल0 के प्रशिक्षण हेतु अवशेष बचे केन्द्रों को नवीकृत किया जाए तथा जिन जिलों द्वारा कौशल विकास मिशन अंतर्गत

आर0पी0एल0 के प्रशिक्षण हेतु सेंटर को नवीकृत नहीं किया गया है उनको WhatsApp के माध्यम से ग्रूप बनाकर मैसेज भेजा जाए।

11. बामेती द्वारा विहित प्रपत्र में हीं प्रगति प्रतिवेदन मंगाया जाए। सभी योजनाओं का प्रतिवेदन दिनांक 05.09.2020 तक प्राप्त कर लिया जाए ताकि दिनांक 07 अथवा 08 सितम्बर, 2020 को सभी परियोजना निदेशक, आत्मा के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा सके।

12. प्रभारी पदाधिकारी को कोर्ट केस को केसों को Follow करने का निदेश दिया गया।

13. श्री रवि कुमार समीक्षा बैठक में अनुपस्थित पाए गए। विशेष सचिव, कृषि–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना द्वारा निदेश दिया गया कि इससे संबंधित पत्राचार श्रम संसाधन विभाग से किया जाए।

14. जिन जिलों में किसान सलाहकार का गठन, किसान पुरस्कार का वितरण, देसी कार्यक्रम अंतर्गत इनपुट डीलरों का प्रमाणपत्र वितरण, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक का संविदा आधारित नियोजन कार्य नहीं किया गया है उन जिलों को यथाशीध्र कराने का निदेश दिया जाए।

15. विशेष सचिव, कृषि–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना द्वारा निदेश दिया गया कि National Adaptation Fund for Climate Change के तहत Scaling Up Climate Smart Agriculture (CSA) through main Streaming Climate Smart Villages (CSVs) in Bihar परियोजना का अलग से खाता खोलते हुए अलग से कैश बूक का संधारण किया जाए।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(विजय कुमार)
विशेष सचिव, कृषि–सह–
राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना